



डॉ० रविशंकर पाण्डेय

!!पाणिनीय व्याकरण में समाज समीक्षा!!

सहायकाचार्य- संस्कृत विद्याविभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०) भारत

Received-08.10.2025,

Revised-16.10.2025,

Accepted-22.10.2025

E-mail : aaryavart2013@gmail.com

सारांश: भाषा एवं समाज में सदैव विशिष्ट संबंध है। सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों से संबंधित शब्द भाषा में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं। शब्द ही पुरातत्त्व के अवशेषों की भाँति प्राच्य अर्थों का संस्मरण कराते हुए अतीतकालीन जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कितने ही शब्द उत्पत्त्यान्तर कालांतर में भी प्रचलित रहते हैं।

आचार्य पाणिनि ने अपने समकालीन सामाजिक जीवन का शब्दों के रूप में सूक्ष्मान्वेषण कर उसे अपने शब्दशास्त्र स्वरूप परम् महत् जलौघ में उन्हें स्थान दिया।

यह व्याकरणशास्त्र ही षडङ्गों में प्रधान तथा समग्र विद्याओं में उत्तरा विद्या के रूप में स्वीकृत है।

व्याकरण नामेयं उत्तरा विद्या, प्रधानं च षट्पु अंगेषु व्याकरणम्।

उपयुज्यमान व्याकरणीयग्रन्थों में पाणिनीय व्याकरणशास्त्र भारतीय शब्दविद्या का अति प्राच्य तथा प्रधानग्रन्थ है, पाणिनि तात्कालिक व्यवहारशिष्टभाषा का अन्वेषण कर इस शब्दशास्त्र का प्रणयन करते हैं। तत्कालीन सामाजिकजीवन का कोई भी ऐसा अंश अवशिष्ट नहीं, जिसका व्यवहार अष्टाध्यायी में अभिव्यञ्जित न होता हो।

कुंजीभूत शब्द— इकीसवीं सदी, लोक जीवन, लोक संस्कृति, नवीनतम पीढ़ी, संस्कारगत रीति-रिवाज, मजदूर, किसान, रूढ़ियाँ।

भूगोल, शिक्षा, साहित्य, सामाजिक जीवन, कृषि, वाणिज्य व्यवसाय, सिक्के, मापतोल, सेना, शासन, राजा, राज्य, मंत्रिपरिषद्, यज्ञ, देव, जनपद, सम्बन्ध आदि से संबंधित जहाँ तक मानव जीवन का विस्तृत है। वहाँ तक शब्दों को एकत्रित करने के लिये आचार्य का यह शब्दजाल पूरित है। इन सभी शब्दों तथा तत् सम्बन्धी सूत्रों पर विचार करने से यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि संस्कृत उस समय सामान्य व्यवहृत भाषा थी। दूर से पुकारने-आहवाहन (दूराद्वा ते च ड), प्रत्यभिवादन में (प्रत्यभिवादेऽशूदे⁴), प्रश्नोत्तर में (पृष्ठप्रतिवचने⁵), अथवा डांटने (आग्नेडितमर्त्सने⁶) आदि के लिये जिस प्रकार वाक्यों और शब्दों में स्वरों का प्रयोग होता था। उनके नियम तत्-तत् सूत्रों में दिए गए हैं, जो व्यावहारिक उपयोगिता को उपस्थापित करते हैं। शब्दों की व्याख्या करने के कारण व्याकरण शब्दशास्त्र है वस्तुतः वाङ्मय में अनन्त शब्द था उन शब्दों के अर्थ प्रतिपादनार्थ ही यह शब्दानुशासन नामधेय शास्त्र किया यह न केवल शब्दानुशासन करता है, अपितु गौणमुख्यन्यायेन तत्कालीन समाज का भी द्योतक है। इसके इस गुह्य स्वरूप को उद्घाटित करना ही मेरे इस शोधपत्र का ध्येय है।

आचार्य के शब्दोपस्थापन की प्रक्रिया में तात्कालिकी सामाजिक व्यवस्था/व्यवहार निगूढित है।

वस्तुतः आचार्य ने अपने समय के समाज और भाषा के प्रतिपादनार्थ यह कार्य अत्यन्त दक्षता के साथ किया। यह वैशिष्ट्य न तो उनसे पौर्वत्य और न ही पाश्चात्य आचार्यों के शास्त्र में दृष्टीगोचर होता है। इस दृष्टि से आचार्य पाणिनि भारतीय इतिहास के लिये अतीव उपयोगी है।

पाणिनी द्वारा अष्टाध्यायी में सामाजिक तथा भौगोलिक विषयों का वर्गीकरण कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया गया था, यथालभ्य जिनका समुत्थापन मेरे द्वारा किया जा रहा है:

आचार्य के द्वारा प्रयुक्त स्थानों का विवेचन— सर्वप्रथम स्थाननामों के उपरान्त जुड़नेवाले शब्द, जैसे पुर, नगर, ग्राम आदि।

नगर तथा ग्रामों के अनेक नाम, जो कि चार कारणों से निर्मित होते हैं, वे चारों अर्थ चातुरर्थिक कहलाते हैं, जिनका निर्देशन ४।२।६७ से ४।२।७० तक के सूत्रों में किया गया है, अग्रिम २१ सूत्रों में (४।२।७१ से ६१ तक) इन्हीं अर्थों की अनुवृत्ति जाती है।

(अ) 'तदस्मिन्स्तीति देशे तन्नाम्नि'⁷, वह इस देश में है, अर्थात् जो वस्तु जिस स्थान में उत्पन्न होती है। उस वस्तु के नाम से ही उस स्थान को जाना जाता है, यथा—'पलाशाः सन्ति अस्मिन्देशे सः पालाशः देशः।

(आ) 'तेन निर्वृत्तम्'⁸, यहाँ निर्वृत्त शब्द का अर्थ है, निर्मित अर्थात् उसने यह स्थान बसाया। पुराकाल में बसाने वाले के नाम से ही शहर या गाँव का नाम रखा जाता था। कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी = कुशाम्ब + अण् + डीप् → कौशाम्बी नगरी। कुशांब नाम के राजा द्वारा बसाई गई नगरी कौशांबी कहलाई।

(इ) 'तस्य निवासः'⁹ किसी देश का नाम निर्देश उस देश में जिनका निवास है, उनके आधार पर उसका नाम रखने के लिए इस सूत्र का प्रयोग है, यथा—शिबीनां निवासः देशः = शिबि अर्थात्—शिबि नाम के क्षत्रिय जहाँ रहें वह प्रदेश शैव हुआ।

(ई) 'अदूरभवश्च'¹⁰ सूत्रस्थ अदूरभव शब्द का है निकट, अर्थात् यदि कोई स्थान किसी दूसरे स्थान के निकट बसा हुआ होता है, तो वह भी उसके नाम से पुकारा जाता है; यथा विदिशायाः अदूरभवम् (= निकटम्) नगरम् = वैदिशम् नगरम्।

हिमवतः अदूरभवम् नगरम् = हैमवतम् नगरम्, एतदनुसार बहुत से स्थान नामों के उद्धरण अष्टाध्यायी में किया गया है।

यथा—**वुज्जण्कठजिलसेनिरद्वज्जययफक्फिज्जयकक्कठ**¹¹ सूत्र के १७ गणों में दो सौ अष्टादश स्थानों के नाम प्राप्त होते हैं।

पाणिनीय व्याकरण में अधोक्त नदियों के नामों का भी वर्णन आचार्य ने किया है।

सुवास्तु (४।२।७७), **सिंधु** (४।३।६३), **विपाश्** (४।२।७४), **उद्धघ** (३।१।११५), **मिघ** (३।१।११५), **देविका** (७७३।१), **सरयू** (६१२।१७४), **अजिरवती** (६।३।११६), **शरावती** (६।३।१२०), **चर्मण्वती** (८२।१२)।

सुवास्तु— सुवास्तादिभ्योऽण् (४।२।७७)—सुवास्तु वैदिक काल की नदी थी, जो कि वर्तमान में स्वात के नाम से व्यवहृत है। इसकी तलसटी में प्राचीन काल से अद्यावधि एक विशेष प्रकार के कंबल बुने जाते हैं। पाणिनि ने (पाण्डुकम्बलादिनि ४।२।११) पांडु कंबल नाम से उनका उल्लेख किया है। सुवास्तु और गौरी के मध्य में एक बीर जाति के लोग बसते थे जिन्हें यूनानियों ने अस्सकेनोई (Iimदवप) और पाणिनि ने आश्वकायन (४।१।६६, नडादिभ्यः फक्) कहा है,

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

ASVP PIF-9. 805 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14



सिंधु— प्राच्या सिंधु वर्तमान की सिंध है, जिसका उल्लेख **सिन्धुतक्षशिलादिम्योऽणजौ**¹² सूत्र में किया गया है। सिंधु के नाम से उसके पूर्वी किनारे की तरफ पंजाब में फैला हुआ प्राचीन सिंधु जनपद (सिंधु-सागर हुआ) था, जिसका पाणिनि ने अपने सूत्र में उल्लेख किया है **सिंधुतक्षशिलादिम्योऽणजौ**¹³। वर्तमान सिंध प्रांत का नाम सौवीर था। उसका भी उल्लेख आचार्य ने सौवीर के गोत्रों का परिचय देते हुए **पुंयोगादाख्यायाम्**¹⁴ किया है। सिंधु नदी कैलाश के पश्चिमी तटों से उद्गमित होती हुई कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर गिलगिट-चिलास प्राचीन दरद देश में प्रवेशकर दक्षिणवाहिनी होती हुई दरद के चरणों में पहिली बार मैदान में उतरती है। इस भौगोलिक सच्चाई को जान कर प्राचीन भारतवासी सिंधु को 'दारदी सिंधु' कहते थे। 'प्रभवति'¹⁵ सूत्र पर काशिका में 'दारदी सिंधु' उदाहरण आया है।

देविका— इस नदी का उल्लेख **देविकाशिशपादित्यवाङ्दीर्घसत्रश्रेयसामात्**¹⁶ सूत्र में प्राप्त होता है। भाष्य में देविका के किनारे उगनेवाले चावल 'दाविकाकूलाः शालयः' कहे गए हैं। देविका मद्रदेश में बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी थी।

अजिरवती— गंगा की सहायक नदियों में अजिरवती का नाम अष्टाध्यायी में आया है, **मती बहवचोऽनजिरादीनाम्**¹⁷ यही अजिरवती (वर्तमान राप्ती नदी थी, जिसके किनारे प्राचीन श्रावस्ती स्थित थी)।

सरयू— इसका भी नाम अष्टाध्यायी में आता है, जिससे 'सारव (सरयू) भवं- सारवमुदकम्- दाण्डिनायनहास्तिनायम्'¹⁸ विशेषण बनता था। सरयू नाम की प्रसिद्ध नदी तो कोसल जनपद में है।

चर्मण्वती— विंध्याचल की नदियों में चर्मण्वती (चंबल) का नाम सूत्र में आया है, **आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती**¹⁹।

शरावती— कुरुक्षेत्र की घग्घर नदी के साथ प्रवाहित होने वाली यह प्राच्य और उदीच्य देशों की बीच के सीमा थी। उपरोक्त सूत्रों से न केवल नदियों का वर्णन प्राप्त होता है अपितु उन नदियों के किनारे रह रही सम्यताओं, नगरों और उनके सामाजिक व्यवहारों का भी ज्ञान होता है।

पाणिनीय व्याकरण में जनपद, नगर, पुर, ग्राम, खेन, घोष, कच्छादि के नामों का भी विशेष उल्लेख मिलता है।

कंबोज (४।१।१७५) — पाणिनि के समय में यह एकराज्य जनपद था। यहाँ का राजा और क्षत्रियकुमार दोनों कंबोज कहलाते थे, (अपत्यवाची और राजावाची प्रत्ययों का 'कम्बोजाल्लुक्' सूत्र से लोप होता है)। **कच्छादि** (४।२।१३३), **सिध्वादि** (४।३।६३) गणों में सिंधु, वर्ण, गंधार, मधुमत्, कंबोज, कश्मीर, साल्व और कुलुन, इन आठ जनपदों के नाम सामान्य हैं, जो पाणिनिकृत प्रतीत होते हैं।

वृजि (मद्रवृज्योः कन्-४।२।१३७) — बिहार प्रांत में गंगा के उत्तर का प्रदेश वृजि कहलाता था, जहाँ विदेह लिच्छवियों का राज्य था।

मगध **द्वयज्मगधकलिङ्गसूरमसादण्**²⁰ — गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद था जहाँ राजतंत्र शासन था।

कलिङ्ग **द्वयज्मगधकलिङ्गसूरमसादण्** — कलिङ्ग पाणिनि के समय में राज्य जनपद था, किंतु सोलह महाजनपदों की सूची में उसकी गिनती नहीं है।

सूरमस **द्वयज्मगधकलिङ्गसूरमसादण्** — यह नाम केवल अष्टाध्यायी में आया है। ज्ञात होता है कि असम प्रांत में प्रसिद्ध सूरमा नदी का अपवाह और पर्वत-उपत्यका का प्राचीन नाम सूरमस था।

अवंति **स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुम्यश्च**²¹ — यह मध्यभारत का प्रसिद्ध जनपद था, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी (गणपाठ ४।२।८२; धूमादिभ्यश्च-४।२।१२७)।

कुन्ति **स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुम्यश्च** — भाष्य के अनुसार सूत्र (वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यङ्-४।१।१७७) के इकारांत एकराज जनपदों में कुन्ति और अवंति की भी गणना थी। महाभारत के अनुसार कुन्ति अवंति जनपद का पड़ोसी था।

नगर **कन्थापलदनगरग्रामद्वदोत्तरपदात्**²² — प्राचीन स्थान नामों के अंत में जुड़ने वाला यह महत्वपूर्ण उत्तर पद था, पाणिनि के अनुसार प्राच्य और उदीच्य दोनों भागों में नगर का प्रयोग होता था, **अमहन्व नगरेऽनुदीचां** (६।२।८६)

पुर **प्रस्थपुरवहान्ताच्च**²³ — नगर की भाँति यह भी बहुव्यापी उत्तरपद था। पाणिनि ने सूत्र ६।२।१०७ में हास्तिनपुर, फलकपुर और मार्देयपुर, तथा सूत्र ६।२।१०० में अरिष्टपुर और गौड़पुर का उल्लेख किया है।

ग्राम **कन्थापलदनगरग्रामद्वदोत्तरपदात्**²⁴।

खेट **चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम्**²⁵ — हिंदी आदि भाषाओं का 'खेड़ा' इसी से निकला है। मध्यदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक यह उत्तरपद प्रयुक्त होता है। पाणिनि के अनुसार कुत्सित नगर खेट कहे जाते थे।

घोष **घोषादिषु च**²⁶ — अहीर ग्वालों का छोटा गाँव घोष कहलाता था।

कच्छ **(कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात्-४।२।१२६)** कच्छांत नामों का व्यवहार समुद्रतट के लिए प्रचलित था। काशिका में दारुकच्छ और पिप्पलीकच्छ उदाहरण मिलते हैं।

पाणिनीय व्याकरण में निर्दिष्ट समाज व्यवस्था के वर्णन क्रम में अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ण, जाती कुलादि का विवेचन।

सगोत्र — गोत्र अष्टाध्यायी का महत्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि के अनुसार अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् (४।१।१६२) यह गोत्र की परिभाषा थी। इसका अर्थथा पौत्र प्रभृति यद पत्यं तद्गोत्रसंज्ञं भवति, अर्थात् एक वयो वृद्ध के पोते पड़पोते आदि, जितनी सन्तान होगी वह गोत्र कही जायगी। गोत्र प्रवर्तक मूल पुरुष को वृद्ध, स्थविर या वंश्य भी कहते थे। उदाहरण के लिये यदि मूल पुरुष का नाम गर्ग होता, तो उसका पुत्र गार्गि, पौत्र गार्ग्य और प्रपौत्र गार्ग्यायण कहलाता था।

१. मूलपुरुष या गोत्रकृत् — गर्ग

२. पुत्र या अनंतरापत्य — गार्गि (गर्ग + इ)

३. गोत्रापत्य या पौत्र — गार्ग्य (गर्ग + य)

४. युवा या प्रपौत्र — गार्ग्यायण (गर्ग + फक् -आयन)

सपिण्ड — यह सूत्र युग का विशिष्ट शब्द था जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकों में अप्राप्य है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की सातवीं पीढ़ी और माता की पाँचवीं पीढ़ी तक के संबंधी सपिण्ड कहलाते हैं।

सनाभि — समाननाभि के स्थान में सनाभि आदेश होता है (६।३।८५)। नाभि का यहाँ अर्थ गर्भ की नाल है।



शालि-माता, पिता के द्वारा अपने सभी संबंधित बांधव ज्ञाति कहे गए हैं (६।२।१३३, काशिका, ज्ञातयो मातृ पितृ संबंधिनो बांधवा। पाणिनि ने ज्ञातिको स्व का पर्याय कहा है। स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्, १।१।३५। संभवतः यहाँ केवल पितृकुल के संबंधियों का ही ग्रहण है।

संयुक्त- संयुक्त ससुराल के संबंधियों को कहते थे, ६।२।१३३, काशिका, संयुक्ताः स्त्री संबंधिनः श्यालादयः। पाणिनि ने स्वसुर स्वश्रू (१।२।७१), स्वसुर्य (= स्वसुर पुत्र को संयुक्त कहा है (४।११।३७)।

कुल- परिवार की संज्ञा कुल थी (४।१।१३६ ४।२।६६)। कुल की प्रतिष्ठा पर प्राचीन भारतीय बहुत ध्यान देते थे। प्रतिष्ठित और यशस्वी कुल महाकुल कहलाते थे। समाज में उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता था। कुल में उत्पन्न व्यक्ति कुलीन (४।१।१३६) और महाकुल में उत्पन्न महाकुलीन कहलाते थे।

पारिवारिक संबंधों को भी आचार्य ने अपने ग्रन्थ में विवेचित किया है, यथा:

माता, पिता, (१।२।७० पितामहः पितृव्य (४।२।३६); भ्राता, सोदर्य (४।४।१०६); ज्यायान् भ्राता (४।१।१६४), स्वसा (१।२।६८); पुत्र पौत्र (५।१।१०); पितृष्वसा (८।३।८४); उसका पुत्र पैतृष्वसेय (४।११।३२); मातृष्वसा (८।३।८४), उसका पुत्र मातृष्वसेय (४।१।१३४); स्वस्त्रीय (४।१।१४३); भ्रातृव्य (४।१।१४४); मातामह (४।२।३६); मातुल (४।२।३६), मातुलानी (४।११।४६)।

पिता मात्रा- (१.२.७०) माता पिता दोनों के लिये एक शेष वृत्ति द्वारा माता का लोप करके 'पितरौ' शब्द का प्रयोग होता था।

अन्नादि का विवेचन-

यवागू ४।२।१३६ओदन की तरह जौ की लपसी भी जनता का प्रिय भोजन था। सूत्रों के उदाहरणों में अनेकों बार यवागू का उल्लेख आता है। साल्व जनपद में यवागू लागो का विशेष प्रिय भोजन था पाणिनि ने उसे साल्विका यवागू कहा है। साल्व जनपद की पहचान देश के उस भू-भाग से की गई है जो अलवर से बीकानेर तक फैला हुआ है।

नीवार (नौ वृ धान्ये²⁷) जंगल में स्वयं उपजने वाला घटिया किस्म का धान्य था। लोक में इसे ही पसही (प्रसातिका) या तिन्नी का चावल कहते हैं।

पयस्य या गव्य²⁸ दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को गव्य या पयस्य कहा गया है। दूध दही मटठा इनका सूत्रों में उल्लेख है। सूत्र ७।२।१८ में जिस फाण्ट का उल्लेख है वह भी गव्य पदार्थ ही था। उसी दिन के दूध से तत्काल निकाले हुए मक्खन को फाण्ट कहा जाता है।

कुल्माष²⁹ पाणिनि ने उस तिथि का नाम पौर्णमासी कहा है, जिस दिन वर्ष में एक बार कुल्माष नामक अन्न नियमत खाने की प्रथा थी (तदस्मिन्नन्नं प्राये सज्ञायाम् कुल्माषादम् ५।२।८२ ८३)। कुल्माष क्या था, इस पर प्राचीन साहित्य से कुछ प्रकाश पड़ता है। निरुक्त में कुल्माष को निकृष्ट भोजन कहा गया है (कुल्माषान् चिदाहर इत्यवकुत्सिते १।४)।

यवक ५।२।३पाणिनि और चरक दोनों में इस चावल का उल्लेख है। सूत्र ५।४।३ के अन्तर्गत गण पाठ में भी यवक आया है (यव ग्रीहिषु ५।४।३)।

शालि ५।२।२- शालि का तात्पर्य जड़हन से है, जो कि मार्गशीर्ष में होता है। इसके विरुद्ध ग्रीहि बरसाती चावल है जो सावन-भादो की फसल में होते हैं। शालि के खेत शालेय और ग्रीहि के ब्रैडेय कहलाते थे।

षष्टिका ५।१।६०साठ रात या दो महीने में पककर तैयार होने से इस धान का यह नाम पड़ा षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। लोक में इसी का नाम साठी है।

इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में वर्णित सूत्रों के द्वारा तात्कालिकी सभ्यताओं, नगरों उनके सामाजिक व्यवहार आदि का परिज्ञान होता है।

उपसंहार- विश्व की किसी भी भाषा का व्याकरण इतना सुव्यवस्थित पूर्ण और वैज्ञानिक नहीं है जितना संस्कृत भाषा का। संस्कृत व्याकरण परम्परा का अध्ययन प्राचीन है, जिसकी चरम परिणति पाणिनीय अष्टाध्यायी में देखने को मिलती है। लोक ही व्याकरण का सबसे महान् आवपन या कोष है। जो शब्दों के अपरिमित भण्डार से भरा रहता है, उस लोक के प्रति आचार्य पाणिनि की बड़ी हुयी निष्ठा एव श्रद्धा थी। लोक प्रमाण जिसे संज्ञा प्रमाण कहा गया है के आधार पर ही आचार्य ने अपने महान् शास्त्र की रचना की। लोक के विषय में पाणिनि की प्रगाढ़ श्रद्धा ही अष्टाध्यायी की बहुमुखी सांस्कृतिक सामग्री का सेतु है। इस दृष्टि को लेकर आचार्य के नेत्रों में अमृतपूर्व तेज भर गया था। गुप्त प्रकट जो शब्द सामग्री जहाँ थी वह सब उन्हें उस प्रकार से प्रतिभासित हो गई जैसी पुराकाल के अन्य किसी आचार्य को नहीं हुयी थी। शब्दों की खोज में लोक का तिल-तिल परिचय, जिसे व्याख्याकारों ने सूक्ष्मेक्षिका कहा है, पाणिनीय कार्य शैली की विशेषता थी और इसी से सर्वाङ्ग पूर्ण शास्त्र का जन्म हुआ।

यह शोधपत्र प्रतिपादित करेगा कि पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन केवल भाषा-विज्ञान तक सीमित न रहकर समाज-विज्ञान, संस्कृति, इतिहास और दर्शन के अध्ययन में भी अत्यंत उपकारक है। आधुनिक युग में भी यह प्राकालीन भारतीय समाज के मूलत्व का उपस्थापक है।

आचार्य की प्रतिभा का वैशिष्ट्य इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने भाषा के नियमों के माध्यम से समाज को शाश्वत रूप प्रदान कर दिया। यही कारण है कि सहस्राब्दियों के उपरांत भी पाणिनीय व्याकरण न केवल जीवित है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन का भी आधार बना हुआ है।

वस्तुतः यह शास्त्र तत्कालीन भारतीय जीवन और संस्कृति का कोश ही बन गया है। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनैतिक जीवन शिक्षा एव विद्या सम्बन्धी जीवन एव भौगोलिक विवरण सबके विषय में पाणिनि ने कण-कण करके सामग्री का सुमेरु ही खड़ा कर लिया।

महर्षि पाणिनि ने अपने समकालीन सामाजिक जीवन का शब्दों के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया था और अपने शब्द शास्त्र में उन्हें स्थान दिया। यह विषय ज्ञापित करता है कि भाषा न केवल अगिव्यक्ति का साधन है, अपितु सामाजिक स्मृति का कोश भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महाभा०१९द्य२द्य३२।
2. प०पशा०महा० १द्य१द्य१
3. पा०सू०दृ८।२।८४।
4. पा०सू०दृ८।२।८३।



5. पांसूदृत् १२ १६३ १
6. पांसूदृत् १२ १६५
7. पांसूदृत् १२ १६७
8. पांसूदृत् १२ १६९
9. पांसूदृत् १२ १६९
10. पांसूदृत् १२ १७०
11. पांसूदृत् १२ १८०
12. पांसूदृत् १२ १८३
13. पांसूदृत् १२ १८३
14. पांसूदृत् १२ १८३
15. पांसूदृत् १२ १८३
16. पांसूदृत् १२ १८३
17. पांसूदृत् १२ १८३
18. पांसूदृत् १२ १८३
19. पांसूदृत् १२ १८३
20. पांसूदृत् १२ १८३
21. पांसूदृत् १२ १८३
22. पांसूदृत् १२ १८३
23. पांसूदृत् १२ १८३
24. पांसूदृत् १२ १८३
25. पांसूदृत् १२ १८३
26. पांसूदृत् १२ १८३
27. पांसूदृत् १२ १८३
28. पांसूदृत् १२ १८३
29. पांसूदृत् १२ १८३
